Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 45–2019/Ext.] चण्डीगढ़, शनिवार, दिनांक 9 मार्च, 2019
(18 फाल्गुन, 1940 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं।	
भाग II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं।	
भाग III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	अधिसूचना संख्या का० आ० 20/के०अ० 2/1899/धा० 9/2019, दिनांक 9 मार्च, 2019– स्टॉम्प शुल्क माफ करने बारे।	125–126
	(प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	
भाग IV	**शुद्धि–पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं।	

भाग–III

हरियाणा सरकार

राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग

आदेश

दिनांक 9 मार्च, 2019

संख्या. का० आ० 20/के० अ० 2/1899/धा० 9/2019.– भारतीय स्टॉम्प अधिनियम, 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम 2), की धारा 9 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित प्रवर्गों के लिए सभी प्रकार के ऋण करारों पर ऋण प्राप्त करने के लिए उक्त अधिनियम की अनुसूची 1क के अनुच्छेद 5 के खण्ड (ग) के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क माफ करते हैं, अर्थात्:–

(i) छोटे और सीमांत किसानों को कृषि प्रयोजनों के लिए एक लाख साठ हजार रुपये तक के ऋण हेतु ;

(ii) प्रधान मंत्री आवास योजाना या राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अधीन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लाभार्थी के लिए मकान के क्रय या निर्माण के लिए या स्व–रोजगार इत्यादि के लिए ऋण लेने हेतु ;

(iii) गरीबी रेखा से नीचे के अनुसूचित जाति के परिवार, जिसके ऋण के मामले की सिफारिश हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम द्वारा बैकों को की गई है, हेतु ;

(iv) हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की उनकी स्कीमों के अधीन बैंकों को प्रयायोजित महिला लाभार्थी हेतु।

केशनी आनंद अरोड़ा,
अपर मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त, हरियाणा सरकार,
राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

REVENUE AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT

Order

The 9th March, 2019

No. S.O. 20/C.A. 2/1899/S. 9/2019.– In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Central Act 2 of 1899), the Governor of Haryana hereby remits stamp duty chargeable under clause (c) of article 5 of Schedule 1-A to the said Act on all types of loan agreements for obtaining loan on the following categories, namely:-

(i) small and marginal farmer for a loan upto ₹ 1,60,000/- for agricultural purposes;

(ii) beneficiary of Economically Weaker Section under Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) or National Urban Livelihood Mission (NULM) for taking a loan for the purchase or construction of house or for self employment etc;

(iii) Below Poverty Line Scheduled Caste family whose case of loan has been recommended by the Haryana Scheduled Castes Finance and Development Corporation to the banks;

(iv) beneficiary sponsored to the bank by the Haryana Women Development Corporation under its scheme of making women self reliant.

KESHNI ANAND ARORA,
Additional Chief Secretary and Financial Commissioner to Government,
Haryana, Revenue and Disaster Management Department.

56943—L.R.—H.G.P., Chd.